दिनाक 13.11.2020
प्रेस विज्ञप्ति–13 / 20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 द्वारा उ0प्र0 पीएसी के प्रोन्नति प्राप्त जवानों को प्रोन्नति रैंक प्रदान किया गया

उ0प्र0 पीएसी में बहुप्रतिक्षित 5042 मुख्य आरक्षी एवं 717 प्लाटून कमाण्डर प्रोन्नति प्रक्रिया को मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार पूर्ण होने पर आज दिनांक 13.11.2020 को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित **प्रोन्नति पत्र वितरण समारोह** में मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रोन्नति प्राप्त जवानों को **प्रोन्नति रैंक** प्रदान किया गया।

श्री एच0सी0 अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा स्वागत उद्बोधन में पी0ए0सी0 कर्मियों को प्रदत्त प्रोन्नति को मा0 मुख्यमंत्री द्वारा दीपावली का बहुमूल्य उपहार बताया गया, उन्होंने आश्वस्त किया कि जिस तरह प्रदेश सरकार द्वारा उ0प्र0 पुलिस की मूलभूत आवश्यकताओं एवं आधुनिकीकरण के संसाधनों को उपलब्ध कराया गया है, इससे पुलिस जवानों के मनोबल में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है तथा उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रदेश पुलिस प्रदेश की महिलाओं, बुजुर्गों एवं बच्चों सहित प्रदेश वासियों की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी तथा आपराधिक तत्वों से इन्हें अक्षुण रखा जाएगा।

श्री अवनीश अवस्थी अपर मुख्य सचिव, गृह द्वारा अपने उद्बोधन में यह अभिव्यक्त किया कि प्रदेश पुलिस दिन–प्रतिदिन आधुनिकीकरण एवं व्यवसायिक दक्षता की ओर अग्रसर हो रही है तथा इसे उत्कृष्ट पुलिस बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने अल्प अवधि में इतनी अधिक संख्या में पी0ए0सी0 कर्मियों की पदोन्नति प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु श्री आर0के0 विश्वकर्मा डी0जी0 भर्ती बोर्ड एवं श्रीमती रेणुका मिश्रा ए0डी0जी0 भर्ती बोर्ड एवं श्री संजय सिंघल ए0डी0जी0 स्थापना के कठोर परिश्रम एवं त्वरित कार्यवाही की प्रशंसा की गयी। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रदेश पुलिस के कल्याण एवं व्यवसायिक दक्षता वृद्धि में कमी नहीं छोड़ी जायेगी।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा इस अवसर पर अपने सम्बोधन में पीएसी कर्मियों में जनपदीय पुलिस से पीएसी में वापस करने की घटना का उल्लेख करते हुए यह कहा कि सामान्यतः इस तरह के आयोजन नहीं होते हैं तथा होने भी नहीं चाहिए परन्तु वर्षों से प्रोन्नति से वंचित पीएसी कर्मियों की पीड़ा का संज्ञान होते ही त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये गये। उनके द्वारा प्रदेश पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण करने एवं कानून व्यवस्था बरकरार रखने की प्रशंसा करते हुए यह निर्देशित किया गया कि पुलिस की मूलभूत सुविधाओं, उनके कल्याण एवं उनकी व्यवसायिक दक्षता में वृद्धि करने की दशा में त्वरित कार्यवाही की जाय। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रोन्नति प्राप्त जवानों को प्रोन्नति रैंक लगाकर सम्मानित किया गया तथा अपने उद्बोधन में पीएसी जवानों एवं उनके परिजनों को प्रोन्नति की बधाई दी गयी।

श्री विनोद कुमार सिंह अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यह कहा कि पीएसी बल **संवाद, समन्वय एवं सहयोग** के सूत्र पर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बहाल करने में तत्पर है तथा मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा आज के आयोजन द्वारा पीएसी बल को **सम्मान, शक्ति एवं संसाधन** दिये जाने का उल्लेख करते हुए यह आश्वस्त किया गया कि पीएसी बल उ0प्र0 राज्य की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी तथा प्रदेश की कानून व्यवस्था स्थिति को अक्षुण रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पीएसी प्रमुख द्वारा यह अवगत कराया गया कि पीएसी बल अपनी पूर्ण जनशक्ति 273 कम्पनी के साथ क्रियाशील है तथा प्रोन्नति के अवसरों में और अधिक वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रदेश शासन द्वारा पदों की वृद्धि सम्बन्धी मांगे गये प्रस्ताव पर निर्णय होते ही पीएसी बल में प्रोन्नति प्रक्रिया को गतिमान किया जाएगा। उनके द्वारा कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले उ0प्र0 शासन के अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, विशेषकर अपर मुख्य सचिव, गृह, भर्ती बोर्ड एवं स्थापना शाखा के पुलिस अधिकारियों, के सहयोग एवं कठिन परिश्रम से इस प्रोन्नति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

पी.ए.सी. कर्मियों
का
पदोन्नति समारोह
मुख्य अतिथि
योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
दिनांक : 13 नवम्बर, 2020 | समय : पूर्वाह्न 10:30 बजे
स्थान : 5, कालिदास मार्ग, लखनऊ

एसटीएफःसोशल मीडिया (फेसबुक, मैसेन्जर, व्हाट्सअप आदि) के माध्यम से ठगी कर यू0एस0ए0/कनाडा आदि देशों में नौकरी दिलाने के नाम पर बन्धक बनाकर हवाला के माध्यम से अवैध वसूली करने वाले गिरोह के रू0 50,000/—का पुरस्कार घोशित अपराधी राजेश कुमार उर्फ संतोष दूबे जिला रतलाम (मध्य प्रदेश) से एस0टी0एफ0 द्वारा किया गया गिरफ्तार

दिनाक 11—11—2020 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को सो''ाल मीडिया (फेसबुक, मैसेन्जर, व्हाट्सअप आदि) के माध्यम से ठगी कर यू0एस0ए0/कनाडा आदि दे''ाों में नौकरी दिलाने के नाम पर बन्धक बनाकर हवाला के माध्यम से अवैध वसूली करने वाले गिरोह के रू0 50,000/— का पुरस्कार घोषित अपराधी राजेश कुमार उर्फ संतोष दूबे को मध्य प्रदेश के जिला रतलाम से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः—

राजेश कुमार उर्फ संतोष दूबे पुत्र हितनरायन निवासी म0नं0 53 वार्ड नं0 31, फ्रीगंज, थाना स्टेशन रोड, जिला रतलाम (मध्य प्रदेश)

बरामदगीः—

01—मोबाइल फोन—01 अदद।
02—आधार कार्ड—01 अदद।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः—

गांधीनगर जिला रतलाम (मध्य प्रदेश), दिनांक 11—11—2020।

सोशल मीडिया (फेसबुक, फेसबुक मैसेन्जर एवं व्हाट्सअप आदि) के माध्यम से विदेशों मुख्यतः अमेरिका एवं कनाडा में नौकरी व वीजा दिलाने के नाम पर एक अन्तर्राज्यीय संगठित गिरोह द्वारा नरोडा, अहमदाबाद, गुजरात के कुछ लोगों को दिनांक 22—11—2019 को जनपद वाराणसी के कैण्ट थानान्तर्गत बुलाकर बन्धक बनाते हुये 20 लाख रूपये अवैध रूप से हवाला के माध्यम से नई दिल्ली में वसूला गया था। इस संबंध में जनपद वाराणसी के थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 1548/2019 धारा 420/406/323/ 342/506/386/120बी भादवि पंजीकृत किया गया था।

उक्त गिरोह के अपराधिक कार्यों पर अंकुश लगाते हुये गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी हेतु एस0टी0एफ0 की फील्ड इकाई, वाराणसी को निर्देशित किया गया तथा, जिसके क्रम में गिरोह के सरगना आजमगढ़ निवासी राजवीर यादव, नेपाल निवासी कपिल उर्फ भाष्कर उर्फ भाटिया तथा कोलकता निवासी पवन गांधी को एस0टी0एफ0 द्वारा पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। उक्त मुकदमें में वांछित तथा फरार चल रहे गिरोह के एक अन्य सदस्य राजेश कुमार उर्फ संतोष पुत्र हितनरायन निवासी म0नं0 53 वार्ड नं0 31 फ्रीगंज, थाना स्टेशन रोड, जिला रतलाम (मध्य प्रदेश) जिसके उपर रू0 50,000/— का पुरस्कार घोषित किया गया था, के संबंध में एसटीएफ फील्ड इकाई वाराणसी द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि उक्त राजेश कुमार उर्फ संतोष रतलाम (मध्य प्रदेश) में लुकछिप कर रह रहा है। इस पर निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी की एक टीम रतलाम (मध्य प्रदेश) पहुँची। टीम द्वारा प्राप्त अभिसूचना पर कार्यवाही करते हुये दिनांक 11—11—2020 को मुहल्ला गांधीनगर जिला रतलाम (मध्य प्रदेश) से उक्त अभियुक्त राजेश कुमार उर्फ संतोष को गिरफ्तार कर स्थानीय न्यायालय से ट्रांजिट रिमाण्ड पर लिया गया था, जिसके द्वारा आज दिनांक 13—11—2020 को थाना कैण्ट, जनपद वाराणसी में दाखिल कर अभियोग के विवेचक के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत करने की विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उक्त के संबंध मं अभिसूचना संकलन, विश्लेषण एवं गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ में पता चला कि इन लोगों का एक संगठित गिरोह है, जिसका सरगना राजवीर सिंह यादव है। यह गिरोह दो भागों में बटकर अपराध को अंजाम देता है। पहले भाग को पवन गांधी संचालित करता है। पवन गांधी सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, फेसबुक मैसेन्जर, व्हाट्सअप आदि पर फर्जी आई0डी0 से यू0एस0ए0, कनाडा में जॉब दिलाने का विज्ञापन पोस्ट करता है। यह विज्ञापन विशेषकर बंगलादेश, नेपाल एवं गुजरात के लोगों के लिये निकाला जाता है और इसी विज्ञापन में सम्पर्क करने के लिये अपना एक मोबाइल नंबर भी दिया जाता है। इस नंबर पर बातचीत एवं व्हाट्सअप चैट किया जाता है। यह कार्य एक से दो माह तक चलता है। जब यह बात तय हो जाती है कि कोई व्यक्ति यू0एस0ए0, कनाडा जाने के लिये तैयार हो गया है तो उसी समय इच्छुक व्यक्ति को बताया जाता है कि नौकरी मिलने के तुरन्त बाद हवाला के माध्यम से एक व्यक्ति को 15 से 20 लाख रूपये तक देना पड़ेगा। अग्रिम धनराशि के रूप में कुछ नही लगेगा। इस पर संबंधित व्यक्ति तुरन्त विश्वास कर लेता है और उसके परिवारीजन भी तैयार हो जाते हैं। तब संबंधित व्यक्ति को वाराणसी या अन्य ठिकानों पर बुलाया जाता है और जब संबंधित व्यक्ति पहुँच जाता है तो इन्हें होटल में ठहराया जाता है और यहॉ से गैंग के दूसरे भाग का काम शुरू हो जाता है। इसका नेतृत्व राजवीर सिंह यादव करता है। राजवीर सिंह यादव अपने गैंग के सदस्यों जिसमें उक्त राजेश कुमार उर्फ संतोष, कपिल उर्फ भाटिया उर्फ भाष्कर आदि शामिल हैं, के माध्यम से उक्त होटल व व्यक्ति की निगरानी कराता है कि कहीं पुलिस पीछे तो नही लगी है। जब निश्चिंत हो जाते हैं तब संबंधित व्यक्ति को यह कहते हुये कि आपको हमलोग विदेश भेजने के लिये एयरपोर्ट ले चल रहे हैं, परन्तु एयरपोर्ट न ले जाकर सारनाथ व सिगरा स्थित अपने ठिकाने पर ले जाकर बन्धक बना लेते हैं। इसके बाद मारपीट एवं बन्दूक सटाकर धमकाते हुये परिजनों से बात करवाते हैं कि यह बता दो कि हमलोग एयरपोर्ट पहुँच गये हैं हमारी बोर्डिंग तैयार हो गयी है और मैं अपना मोबाइल स्विचऑफ कर रहा हूॅ। विदेश पहुचने के बाद बात होगी और मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं। विदेश में फ्लाईट के पहुचने की अवधि के हिसाब से संबंधित देश का वर्चुअल नंबर इण्टरनेट से तैयार कर पुनः मारपीटकर बन्दूक सटाकर परिवार के लोगों से यह बात कराते हैं कि मैं विदेश पहुच गया हूॅ और मुझे जॉब मिल गयी है और यहॉ का मौसम खराब है, इसलिये विडियो कॉलिंग नही कर पा रहा हूॅ। जो पैसा तय हुआ था वह हवाला के माध्यम से दे दें। इसपर परिवार वाले विश्वास कर हवाला के माध्यम से पैसा इस गैंग के लोगों को भेजवा देते हैं, जिसे पवन गांधी दिल्ली में उक्त पैसा हवाला के माध्यम से प्राप्त कर लेता है। पैसा प्राप्त हो जाने के बाद गैंग द्वारा

बन्धक बनाये गये व्यक्ति को ऑख पर पट्टी बांधकर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे टिकट देकर छोड़ दिया जाता है और पैसा गैंग में बराबर बॉट लिया जाता है। इस गैंग द्वारा अबतक लगभग 35 से 40 लोगों के साथ इसी तरह की अवैध वसूली की जा चुकी है। उक्त गिरोह द्वारा वर्ष 2017 में नरेश चुन्नी लाल मोदी निवासी सी–12 लक्ष्मी अपार्टमेण्ट संतकबीर स्कूल के पीछे थाना नौरंगपुरा अहमदाबाद गुजरात से 14 लाख रूपये लिया गया था। इस संबंध में जनपद वाराणसी के थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 256/2017 धारा 342/346/386/364ए भादवि पंजीकृत हुआ था।

गिरफ्तार अभियुक्त राजेश कुमार उर्फ संतोष द्वारा बताया गया कि पवन गांधी ने फेसबुक पर दिनांक 22–11–2019 को शेखर सूद नाम से आई0डी0 बनाकर 'USA CANADA REACH AVAILABLE ONLY FOR GUJARATI, NEPAL AND BANGLADESHIS. NO ADVANCE PAYMENT ON REACH FLIGHT IN 10 DAYS. CONTACT NO. 90732200657' विज्ञापन दिया था। इसी नंबर से तुषार वी0 पटेल निवासी मोहननगर सोसाइटी बंगला नं05 भाग–1, थाना नरोडा, अहमदाबाद, गुजरात अपने मोबाइल से बातचीत कर तैयार हो जाने पर इसे वाराणसी आने के लिये यह कहकर बुलाया गया कि वाराणसी में छोटा एयरपोर्ट है। यहॉ पर टिकट आसानी से मिल जायेगा। कोई समस्या नही होगी। इसपर तुषार वी0 पटेल तैयार हो गया और तुषार अपने साथ 02 व्यक्तियों को भी साथ लाया था। इन लोगों को नदेसर स्थित एक होटल में दो दिन तक ठहराया गया था, उसके बाद राजवीर के नेतृत्व में हमलोगों द्वारा एयरपोर्ट ले जाने के नाम पर तुषार वी0 पटेल के दोनों व्यक्तियों को सिगरा स्थित अपने ठिकाने पर ले जाकर बन्धक बना लिया गया था और इनके घर वालों से कोलम्बस के वर्चुअल नंबर पर बात कराकर 20 लाख रूपया हवाला के माध्यम से ले लिया गया था। तत्पश्चात् उन लोगों को कैण्ट स्टेशन पर दिल्ली का टिकट कटाकर छोड दिया गया था।

उक्त संबंध में तुषार वी0 पटेल द्वारा दिनांक 03–12–2019 को थाना कैण्ट पर मु0अ0सं0 1548/2019 धारा 420/406/323/342/506/386/120बी भादवि पंजीकृत कराया गया था। इसी मुकदमें में राजेश कुमार उर्फ संतोष पर 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त के संबंध में अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

जनपद श्रावस्ती/थाना मल्हीपुर

- **25 हजार रु0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 13.11.2020 को थाना मल्हीपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बदला चौराहा के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी अमन को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना मल्हीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 288/2019 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना मल्हीपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1— अमन निवासी लाइन बाजार वार्ड सं0 13 लोहियानगर कस्बा सलेमपुर थाना कोतवाली सलेमपुर, जनपद देवरिया।

जनपद हापुड़/थाना सिम्भावली

03 अभियुक्त गिरफ्तार,
लगभग 35 लाख रू0 कीमत का 01 कुन्तल 90 किलोग्राम अवैध गांजा, पिकअप गाड़ी बरामद

दिनांक 13.11.2020 को थाना सिम्भावली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर किसान डिग्री कालेज के पास से 03 अभियुक्तों 1—सलमान, 2—आसिफ, 3—नौशाद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 35 लाख रू0 कीमत का 01 कुन्तल 90 किलोग्राम अवैध गांजा, पिकअप गाड़ी बरामद हुये।

इस संबंध में थाना सिम्भावली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सलमान निवासी मोहल्ला श्यामनगर, थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ।

2—आसिफ निवासी मोहल्ला सिकन्दरगेट थाना हापुड़नगर जनपद हापुड़।

3—नौशाद निवासी मोहल्ला सिकन्दरगेट थाना हापुड़नगर जनपद हापुड़।

बरामदगी

1– लगभग 35 लाख रू0 कीमत का 01 कुन्तल 90 किलोग्राम अवैध गांजा।

2–01 पिकअप गाड़ी।

जनपद सम्भल/थाना कोतवाली सम्भल

- **पुलिस कार्यवाही में शातिर 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर, 06 जीवित कारतूस, 02 खोखा कारतूस**
- **01 कार आदि बरामद**

दिनांक 12.11.2020 को थाना कोतवाली सम्भल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम हाफिजपुर के पास से कार सवार बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिससे आरक्षी प्रिंस कुमार घायल हो गये, पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–सादिक उर्फ गटुआ घायल हो गया, जिसे उसके अन्य अभियुक्तों 2–असद, 3–माहरूफ, 4–नवाब, 5–मोहसिर के साथ गिरफ्तार किया गया। मौके से अन्य बदमाश फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 06 जीवित कारतूस, 02 खोखा कारतूस, 01 कार आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्ध जनपद सम्भल के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट, सी0एस0एक्ट, व आर्म्स एक्ट आदि के 25 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली सम्भल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सादिक उर्फ गटुआ निवासी मोहल्ला बरखेड़ियान थाना कोतवाली जनपद सम्भल।

2–असद निवासी नूरियो सराय थाना कोतवाली जनपद सम्भल।

3–माहरूफ निवासी नूरियो सराय थाना कोतवाली जनपद सम्भल।

4–नवाब निवासी चिमियावली थाना कोतवाली जनपद सम्भल।

5–मोहसिर निवासी बेगम सराय थाना कोतवाली जनपद सम्भल।

बरामदगी

1—03 अवैध तमंचा 315 बोर, 06 जीवित कारतूस, 02 खोखा कारतूस,
2—01 कार आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना मीरापुर

• पुलिस कार्यवाही में शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

• 01 अवैध तमन्चा 315 बोर, 02 जीवित ,01 खोखा कारतूस, एक दो पहिया वाहन बरामद।

दिनांक 12.11.2020 की रात्रि को थाना मीरापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान टूटी पुलिया रामराज मोड़ पर मोटरसाइकिल सवार बदमाशो की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त नजाकत घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया, मौके से एक अन्य बदमाश फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर ,02 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस व एक मोटरसाइकिल बरामद हुयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त नजाकत शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मेरठ, बागपत व मुजफ्फरनगर के थानो में चोरी, लूट, हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत है ।

इस सम्बन्ध में थाना मीरापुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नजाकत निवासी ग्राम सठला थाना मवाना जनपद मेरठ।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस ।
2—01 मोटर साइकिल।

———————